US-61
02-12-19.

दिल्ली कृषि विपणन परिषद
9,संस्थानिक क्षेत्र, पंखा रोड़,
जनकपुरी, नई दिल्ली–110058.

अतारांकित प्रश्न सं0–61
प्रश्नकर्त्ता–श्री सुखबीर सिंह दलाल

क्या माननीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:–

प्रश्न सं0	प्रश्न	उत्तर
क	दिल्ली में अधिसूचित सभी कृषि उपज मंडी समितियों का विवरण क्या है;	वर्तमान में दिल्ली में कुल 7 मंडियां कार्यरत हैं जोकि फल एवं सब्जी मंडी आजादपुर, फल एवं सब्जी मंडी केशोपुर, फल एवं सब्जी मंडी गाजीपुर, अनाज मंडी नजफगढ़, अनाज मंडी नरेला, पुष्प मंडी गाजीपुर, मछली,मुर्गा एवं अंडा मंडी, गाजीपुर हैं । पूर्ण विवरण संलग्न है ।
ख	दिल्ली में डि–नोटिफाइड सभी कृषि उपज मंडी समितियों की सूची उपलब्ध कराते हुए बताया जाये कि इनके डिनोटिफिकेशन के कारण क्या हैं;	दिल्ली की मंडियों में से खोया मावा मंडी तथा चारा मंडी, मंगोलपुरी को डि–नोटिफाई किया गया है । उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार उपरोक्त दोनों मंडियों में लगातार मंडी शुल्क में गिरावट पाई गई थी जिसके कारण क्रमशः मिलावट एवं शहरीकरण है । जिसकी वजह से मंडियों को चलाना मुश्किल हो रहा था जिनके लिए कई बार लोन भी दिया गया पर वह सफल नहीं हो पाई।
ग	क्या सरकार पहले से डिनोटिफाइड सभी कृषि उपज मंडी समितियों को अधिसूचित करने की योजना बना रही है;	नहीं ।
घ	कितनी कृषि उपज मंडी समितियों के पास किसानों के लिए विश्रामालय हैं;	एपीएमसी नजफगढ़ व एपीएमसी, आजादपुर के पास विश्रामालय है ।
ङ.	दिल्ली की विभिन्न कृषि उपज मंडी समितियों में किसानों के विश्रामालयों में उपलब्ध सुविधाओं का पूरा विवरण दीजिए;	उक्त दोनों वर्णित मंडियों के विश्रामालयों में यूरिनल, टायलेट, बिस्तर, पानी, बिजली तथा एपीएमसी, आजादपुर के पास कमरे, टी0वी0, टेलीफोन की भी विश्रामालय में व्यवस्था है ।
च	अग्निकांड रोकने के लिए कृषि उपज मंडी समिति, आजादपुर एवं कृषि उपज मंडी समिति, नरेला में कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं; और	एपीएमसी, आजादपुर के पास अग्निकांड की आपातस्थिति में 10,000/– लीटर क्षमता पानी के तीन और 1,000/– लीटर क्षमता के पानी के तीन टैंकर हैं । उनमें मंडी के अंदर में पानी भरने की व्यवस्था है, नरेला मंडी में भी पानी के अंडर ग्राउंड टैंक हैं ।
छ	क्या दिल्ली की विभिन्न कृषि उपज मंडी समितियों में माशाखोरों और पल्लेदारों को कानूनी रुप से कार्य करने की अनुमति है ?	माशाखोरों के लिए कोई भी अधिसूचित पॉलिसी नहीं है तथा पल्लेदारों को "जी" श्रेणी का लाइसेंस संबंधित एपीएमसी नियमानुसार जारी कर सकती है ।

Delhi Agricultural Marketing Board
(Govt. of NCT. Delhi)
9, Institutional Area, Pankha Road
Janakpuri, New Delhi-110058

प्रशांत तंवर
(प्रशांत तंवर)
उप सचिव(समन्वय)

Scanned by CamScanner

245/C

J.S

Details of APMC's in Delhi

Sl.	Name of APMCs with complete address	Principal Yard/Sub Yard.
1.	APMC (MNI), Azadpur, New Office Complex, NFM Phase-II, Sarai Pipal Thala, Azadpur, Delhi-110033.	Principal Yard
	Kela Siding, Azadpur	Sub Yard
	Fruit & Vegetable Market Okhla, Captain Gaur Marg, Near Okhla Railway Station, Okhla, New Delhi – 110020	Sub Yard
	Mangol Puri, Industrial Area, Phase-II, Mangol Puri, New Delhi – 110034.	Sub Yard
2.	APMC, Shahdara, Shahdara – 110032.	Principal Yard
	F&V Market Gazipur, Delhi -110096	Sub Yard
	Jheel Khurenja Subzi Mandi.	Sub Yard
	Shakar Pur Pusta Subzi Mandi	Sub Yard
3.	Flower Market Committee, Gazipur, Delhi – 110096.	Principal Yard
4.	Delhi Fish, Poultry & Egg Market Committee, Gazipur, Delhi – 110096.	Principal Yard
5.	APMC, Keshopur, Ch. Chet Ram Wholesale Fruit & Veg. Market, Keshopur, New Delhi – 110018.	Principal Yard
6.	APMC, Narela, Old Grain Market, Narela, Delhi – 110040.	Principal Yard
	New Grain Market, Narela, Delhi – 110040.	Sub Yard
7.	APMC, Najafgarh, New Grain Market, Najafgarh, Delhi – 110043.	Principal Yard
	Old Grain Market, Najafgarh, Delhi-110043.	Sub Yard

Scanned by CamScanner